भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3407

उत्तर देने की तारीख 16 दिसंबर, 2024

सोमवार, 25 अग्रहायण 1946 (शक)

कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रभाव की समाजिक संपरीक्षा

3407. श्रीमती जोबा माझी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का साझारखंड में कौशल विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जनजातीय युवाओं की जीवन शैली में आए सुधार का सामाजिक संपरीक्षा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसा कब तक कराए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से झारखंड राज्य के जनजाति युवाओं सहित देश भर के समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उन्हें उद्योग से संबंधित कौशल से युक्त करना है।

एमएसडीई के कौशल विकास कार्यक्रमों का सामाजिक लेखा-परीक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालाँकि, एमएसडीई की योजनाओं का मूल्यांकन स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किया

गया है और मूल्यांकन रिपोर्ट में उम्मीदवारों की नियुक्ति या आजीविका में सुधार के संदर्भ में उनकी सफलता का उल्लेख किया गया है। योजना-वार संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

पीएमकेवीवाई: अक्तूबर, 2020 में पीएमकेवीवाई के मूल्यांकन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि वे पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित अधिक उम्मीदवारों को नियुक्त करेंगे। इसके अलावा, पूर्णकालिक/अंशकालिक नियोजित किए गए और आरपीएल घटक के तहत उन्मुख उम्मीदवारों में से 52 प्रतिशत को उच्च वेतन मिला या उन्हें लगा कि उन्हें अपने गैर-प्रमाणित साथियों की तुलना में अधिक वेतन मिलेगा।

जेएसएस: 2020 में जेएसएस योजना के मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि इस योजना ने उन लाभार्थियों की घरेलू आय को लगभग दोगुना करने में मदद की है, जिन्हें जेएसएस प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिला है या वे स्व-रोजगार हैं। 79% महिला प्रतिनिधित्व, 50.5% ग्रामीण हिस्सा, बेहतर आजीविका के लिए रोजगार में 73.4% बदलाव, प्रत्येक लाभार्थी की औसत आय में 89.1% बदलाव, जेएसएस द्वारा लाभार्थियों का 85.7% जुटाव, इस बात को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि योजना की उपयोगिता इस तथ्य से और भी स्पष्ट होगी कि 77.05% लाभार्थी प्रशिक्षुओं ने अपना व्यवसाय बदल लिया है। अध्ययन ने यह भी पुष्टि की कि योजना में कौशल का ध्यान स्व-रोजगार पर है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है।

आईटीआई : एमएसडीई द्वारा वर्ष 2018 में प्रकाशित आईटीआई स्नातकों के ट्रेसर अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई उत्तीर्णों में से 63.5% को रोजगार (वेतन+स्व, जिनमें से 6.7% स्व-रोजगार में हैं) मिला।

एनएपीएस: वर्ष 2021 में आयोजित एनएपीएस के तृतीय पक्ष के मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि इस योजना ने विभिन्न उद्योगों में शिक्षुओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, संरचित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करके युवाओं की नियोजनीयता को सफलतापूर्वक बढ़ाया है। योजना के नए चरण में, शिक्षुओं के बैंक खातों में सीधे सरकार के हिस्से को स्थानांतरित करने के लिए डीबीटी पद्धति को अपनाया गया है, क्योंकि रिपोर्ट में सुव्यवस्थित प्रतिपूर्ति प्रक्रिया की सिफारिश की गई थी।

*****